

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F3(ख)अलेसे II लिंक न. 2914 /

२००

दिनांक :- ४/५/२०१७

कार्यालय आदेश

जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर - [1785] के आदेश क्रमांक 1020-1023 दिनांक 03/05/2017 द्वारा श्री/श्रीमती/सुश्री हनुमान प्रसाद शर्मा [लिंक न. 2914] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय को कार्यमुक्त कर इस निदेशालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिये जाने के क्रम में श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने इस निदेशालय में दिनांक 04/05/2017 को उपस्थिति प्रस्तुत की है। उन्हें दिनांक 04/05/2017 से आदेशों की प्रतीक्षा में लेते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), पंचायती राज विभाग, जयपुर - [28386] में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया जाता है।

वे उक्त कार्यालय/ विभाग में उपलब्ध रिक्त पद का नियमित कार्य अग्रिम आदेशों तक संपादित करेंगे।

(पंकज/प्रैटनी)
निदेशक

क्रमांक :- F3(ख)अलेसे II लिंक न. 2914 /

२००

दिनांक :- ४/५/२०१७

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर
2. जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी, साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ), पंचायती राज विभाग, जयपुर
4. कोषाधिकारी जयपुर
5. श्री/श्रीमती/सुश्री हनुमान प्रसाद शर्मा [2914] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय, निदेशालय कोष एवं लेखा, जयपुर।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट

(सांवर मल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)